न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 73/2022 निर्णय दिनांकः 25.7.2022

कानूसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

– वादी –

बनाम

1. अमरसिंह
2. गुलाबसिंह
3. बन्नेसिंह
4. मेघसिंह पुत्रगण सुगनसिंह जाति राजपूत निवासीगण मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

– प्रतिवादीगण –

उपस्थितिः–

1. श्री साजिद खान अभिभाषक वादी
2. श्री अबरारा अहमद अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4

**वाद अन्तर्गत धारा 53 व188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1655 तादादी 7.45 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है। वादगत खेत खसरा नम्बर 1655 तादादी 7.45 हैक्टेयर रोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग लगातार रूप से चला आ रहा है। वादगत खेत में वादी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बराबर–बराबर संयुक्त रूप से खातेदारी में चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अदल–बदल कर खेत को लगातार रूप से काश्त करते चले आ रहे है। वादगत खेत की खातेदारी संयुक्त चली आने से वादी को अपने खेत में सुधार करने, ट्यूबवैल बनाने सहित, बैंक ऋण लेने सहित काफी परेशानी हो रही है। वादी अपने 1/5 हिस्सा का विभाजन करवाकर अपने हिस्सा की खातेदारी अलग दर्ज करवाना चाहता है। वादगत खेत की 1/5 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम दर्ज होने से वादी को अपने हिस्सा का विभाजन करवाकर अपने हिस्सा की खातेदारी अलग से दर्ज करवाकर अलग लगान कायम करवाने का अधिकारी है। जिसके लिये यह दावा पेश किया जा रहा है। वादगत खेत के चारो तरफ बाड़ व तारबन्दी व पट्टी लगाकर सीमाबन्दी कायम की हुई है। वादी व प्रतिवादीगण की उपरोक्त खेत में संयुक्त खातेदारी होने के कारण विकास कार्य करवाने से वादी वंचित हो रहा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से तहसील कार्यालय में चलकर बाई सिट्स एण्ड बाउन्डस खाता विभाजन करवाने का दिनांक 10.06.2022 को निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने खाता का विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया व वादी की सहमति के विना वादगत खेत को रहन रखकर खाता विभाजन करवानें में बाधा पहुंचाने की चेष्टा में लगे हुये है। प्रतिवादीगण वादी के जायज हिस्से से वादी को बेदखल करने, फसल को खुर्द–बुर्द करने व खेत का बिना विभाजन करवाये ही किसी अजनबी व्यक्ति को विक्रय करने की ऐलानियां धमकियां दें रहे है, ऐसी स्थिति में वादी के पास प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने वादी को खाता विभाजन करवाने से दिनांक 10.06.2022 को इन्कार कर दिया व वादी को वादगत खेत से बेदखल करने व खेत को मुन्तकिल करने की धमकी दी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादगत खेत के रिकार्डेड खातेदार व काबिज कृषक है। प्रतिवादीगण ने वादी को खाता विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया है, ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

विरूद्ध उक्त दावा विभाजन के अनुतोष का प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादीगण ने वादी को बाई मिट्स एण्ड बाउन्डसं खांता विभाजन करवाने से दिनांक 10.06.2022 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादगत खेत के रिकार्डेड खातेदार व काबिज कृषक है। वादी को धमकी की दिनांक, से वादहेतु व रिकार्डेड खातेदार होने से वादाधार प्राप्त है। वादी वादगत खेत का विभाजन नहीं होने के कारण अपने हिस्सा भूमि पर विकास कार्य करवाने से वंचित हो रहा है, खेत की के.सी.सी. बनाने से वंचित हो रहा है। वादी अपने खातेदारी खेत में अपने हिस्सा भूमि का खाता विभाजन करवाकर अपना लगान जुदा कायम करवाने व तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी है। वादी ने उक्त दावा खाता विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रस्तुत किया है, राजस्व रिकार्ड का संधारण प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा किया जाता है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 5 को उक्त दावा में आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है। स्टेट के विरूद्ध ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा जो स्टेट के विरूद्ध हो। दावा अर्जेन्ट नेचर का है, इसलिये धारा 80(2) सी.पी.सी. के नोटिस की छूट अलग से प्राप्त कर उक्त दावा प्रस्तुत किया जा रहा है वादगत खेत वादी की संयुक्त खातेदारी का होने से, वादगत भूमि मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित होने से दावा विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा का होने से श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। दावा निर्धारित कोर्ट फीस पर व हर तरह से अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा पेश कर निवेदन किया है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नानुसार सादर डिक्री फरमाया जावे :—

(क) कि खेत 1655 तादादी 7.45 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स् विभाजन कर वादगत खेत में स्थित वादी का 1/5 हिस्सा की खातेदारी अलग दर्ज कर अलग लगान कायम करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 5 को दिया जावे तथा नक्शा एक्स में भी तरमीम किया जाकर वादी का 1/5 हिस्सा अलग दर्शाया जावे।

(ख) कि प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि खेत खसरा नम्बर 1655 तादादी 7.45 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ से वादी को बेदखल नहीं करे, फसल को खुर्द—बुर्द नहीं करे, वादगत खेत को किसी भी प्रकार से रहन या बैय, हस्तान्तरण आदि दिगर प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे। ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य नहीं करे, जिससे वादी के हितो पर विपरित असर पड़ता हो।

(ग) कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हितकर वादी हो जावे, आज्ञाप्त फरमाया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबालिया राजीनामा पेश किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादी एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामें से वाद स्वीकार करनें में आपत्ति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

ण्ड अधिकारी
ंगरगढ़ (बीकानेर)

## निर्णय

खेत खसरा नंबर 1655 तादादी 7.4500 हैक्टेयर वाके रोही मोंमासर में वादी एवं प्रतिवादीगण का का खाता विभाजन निम्न सारणी अनुसार किया जाता है:–

| क्र.स. | नाम | ख.नं. | हिस्सा | वि.वि. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | गुलाब सिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ | 1655 | 1/5हिस्सा उतरी तरफ | |
| 02 | अमर सिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ | 1655 | 1/5 हिस्सा गुलाब सिंह से चिपंता ही दक्षिणी तरफ | |
| 03 | कानूसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ | 1655 | 1/5 हिस्सा अमर सिंह से दक्षिणी तरफ चिपता | |
| 04 | मेघ सिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ | 1655 | 1/5 हिस्सा कानू सिंह से दक्षिणी तरफ चिपता | |
| 05 | बन्ने सिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ | 1655 | 1/5 हिस्सा मेघ सिंह से दक्षिणी तरफ चिपता | |

तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को वादी एवं प्रतिवादीगण का 1/5 हिस्सा की खातेदारी अलग दर्ज कर अलग लगान कायम करने एवं नक्शा एक्स में तरमीम किया, किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। रहन यथावत् रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.7.22 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

कानूसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. अमरसिंह
2. गुलाबसिंह
3. बन्नेसिंह
4. मेघसिंह | पुत्रगण सुगनसिंह जाति राजपूत निवासीगण मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 73 / 2022

दावा बाबत विभाजन, चिरनिषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री साजिद खान अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 अधिवक्ता अबरार अहमद मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 1655 तादादी 7.4500 हैक्टेयर वाके रोही मोमासर में वादी एवं प्रतिवादीगण का का खाता विभाजन निम्न सारणी अनुसार किया जाता है:—

| क्र.स. | नाम | ख.नं. | हिस्सा | वि.वि. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | गुलाब सिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ | 1655 | 1/5 हिस्सा उतरी तरफ | |
| 02 | अमर सिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ | 1655 | 1/5 हिस्सा गुलाब सिंह से चिपता ही दक्षिणी तरफ | |
| 03 | कानूसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ | 1655 | 1/5 हिस्सा अमर सिंह से दक्षिणी तरफ चिपता | |
| 04 | मेघ सिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ | 1655 | 1/5 हिस्सा कानू सिंह से दक्षिणी तरफ चिपता | |
| 05 | बन्ने सिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ | 1655 | 1/5 हिस्सा मेघ सिंह से दक्षिणी तरफ चिपता | |

तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को वादी एवं प्रतिवादीगण का 1/5 हिस्सा की खातेदारी अलग दर्ज कर अलग लगान कायम करने एवं नक्शा एक्स में तरमीम किया किये जांने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। रहंन यथावत् रहेगा।

**तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।**

लीज....0......मुवलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0.. फीसदी सालाना आज को जारी........................तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

वसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 25 माह 07 सन् 2022 को जारी किया गया ।

(दिव्या)

उपखण्ड अधिकारी

श्री डूंगरगढ

**उपखण्ड अधिकारी**

**श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)**

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)